

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ 1( ) ( ) एसीआर/सान्याअवि/2022/ 1675

जयपुर, दिनांक : 25-04-2022

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प.13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022 जयपुर दिनांक 30.3.2022 के द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 से SSO ID पर लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन संधारित किये जाने हैं।

अतः परिपत्र के परिपेक्ष्य में समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 से अपने एसएसओ आई.डी. के द्वारा लॉग इन कर राजकाज-सॉफ्टवेयर के APAR MODULE में स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे। प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे।

वर्ष 2021-22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, परन्तु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

ऑनलाईन APAR Module में ऑनलाईन ए.सी.आर. की समस्त कार्यवाही Mark to authority तथा आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये विभाग की तकनीकी प्रशाखा से श्री दीपक देव हरितवाल, प्रोग्रामर (दूरभाष संख्या 0141-2226654, मोबाईल नं. 9460034177) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांक एफ 1( ) ( ) एसीआर/सान्याअवि/2022/ 1676-796 जयपुर, दिनांक : 25-04-2022  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, .....
4. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
5. निजी सचिव, आतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक(कार्यालय प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग ..  
.....।

8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजकीय आवासीय गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
9. प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन), मुख्यावास।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को बेवसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
- ✓11. श्री दीपक देव हरितवाल, प्रोग्रामर, मुख्यावास को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।



(उममोद सिंह)

अति. निदेशक (सत.एवं प्रशा.)